न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं0 63/2023 (GCMS 2023/79)

1. **नरेश कुमार** पुत्र श्री राम प्रताप जाति कुम्हार निवासी 12 ई ई ए, तहसील पदमपुर हाल आबाद रतेवावला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **उपजिलाधीश, राजस्व, पदमपुर** पवन कुमार आर.ए.एस.
2. **राम प्रताप** पुत्र श्री जस राम जाति कुम्हार निवासी 12 ई ई ए, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **स्टेट** ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व), पदमपुर

23.01.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 338/2022 अनवानी नरेश कुमार बनाम राम प्रताप के न्यायालय में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था।

उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर की रिपोर्ट दिनांक 21.12.2023 के अनुसार अनवानी नरेश कुमार बनाम राम प्रताप वगैरहा, प्रकरण संख्या 338/2022 अन्तर्गत धारा 53–88–92ए–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचाराधीन था। जिमसें वादी नरेश कुमार एव प्रतिवादी रामप्रताप में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा के आधार दिनांक 14.07.2023 को निस्तारण हो चुका है। अब चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण हो चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.01.2024 को द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.02.15 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर